उत्तराखण्ड वन विकास निगम
(शिविर कार्यालय प्रबन्ध निदेशक)

'अरण्य विकास भवन', 73–नेहरू रोड, देहरादून – 248001 दूरभाषः 0135–2657610 फैक्स : 0135–2655488

पत्रांक –ए0– 2802 /रायल्टी जनरल

दिनांक 01–08–16

सेवा में,

1. समस्त महाप्रबन्धक,
2. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
3. समस्त प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक,
   उत्तराखण्ड वन विकास निगम।

विषय :– **आँधी से टूटे उखड़े–उखड़े वृक्षो के आयतन के सम्बन्ध में।**

संदर्भ :– **मुख्य वन संरक्षक, कार्यालय उत्तराखण्ड, हल्द्वानी का पत्रांक–66/8–2(25)/कैम्प देहरादून दिनांक 29.7.2016**

महोदय,

मुख्य वन संरक्षक, कार्यायोजना, उत्तराखण्ड द्वारा अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से पूर्व में जारी अपर मुख्य वन संरक्षक (प्र0), उत्तर प्रदेश, नैनीताल के पत्र संख्या–1151/37–85 दिनांक 14.9.1982 में उल्लेखित प्राविधानानुसार आँधी से टूटे हुए व उखड़े हुए वृक्षों का आयतन, खड़े हरे वृक्षों के आयतन का ¾ मानते हुए आयतन एवं रायल्टी आगणन हेतु निर्देश प्रदत्त किये गये है।

अतः उक्त संदर्भित पत्र मय संलग्नक आपको आवश्यक कार्यवाही के आशय से प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक :– यथोपरि।

भवदीय,

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक 2802 तददिनांकित।

प्रतिलिपि :– **निम्न को उपरोक्तानुसार संलग्न सहित प्रेषित।**

1. समस्त प्रबन्धक/अधिकारी/कार्यालय अधिक्षक/प्रभारी आई.टी. सेल, मुख्यालय, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
2. पत्रावली (1) शिविर
   (2) गार्ड फाईल।

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
प्रबन्ध निदेशक

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक–कार्ययोजना,

उत्तराखण्ड, हल्द्वानी

पत्रांक- 66/8-2(25)/कैम्प देहरादून दिनांक : 29 जुलाई, 2016

सेवा में,

1. मुख्य वन संरक्षक (गढ़वाल /कुमाऊँ),
2. समस्त क्षेत्रीय वन संरक्षक,

   वन विभाग, उत्तराखण्ड।

विषय :- **वन क्षेत्रों के अंतर्गत आंधी से टूटे–उखड़े वृक्षों के आयतन के विषय में।**

संदर्भ :- अपर मुख्य वन संरक्षक (प्र0), उत्तर प्रदेश, नैनीताल का पत्रांक–1151/37–85/दिनांक 14.09.1982

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से आंधी से टूटे हुए व उखड़े हुए वृक्षों का आयतन, खड़े हरे वृक्षों के आयतन का ¾ मानते हुए आगणित करने के निर्देश प्रदत्त है। उपरोक्त संदर्भित पत्र की छायाप्रति पुनः संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः आप उपरोक्तानुसार आंधी से टूटे हुए व उखड़े हुए वृक्षों का आयतन, खड़े हरे वृक्षों के आयतन का ¾ मानते हुए आयतन आगणन एवं रॉयल्टी आगणन की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :- यथोपरि।

भवदीय,

(ए0आर0 सिन्हा)
मुख्य वन संरक्षक

पत्रांक- 66/8-2 (25)तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :- निम्न को उपरोक्तानुसार संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
3. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त महाप्रबन्धक/क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम।

संलग्नक :- यथोपरि।

(ए0आर0 सिन्हा)
मुख्य वन संरक्षक

प्रतिलिपि पत्रांक- 1191/37-85-1, दिनांक सितम्बर 2002
प्रेषक- डी एन. गोस्वामी, अपर मुख्य वन संरक्षक (कु0) नैनीताल
सेवा में- अपर प्रमुख वन संरक्षक (प्रशासन) उ0 प्र0 देहरादून को -

विषय:- पर्वतीय क्षेत्रों में टूटे उखड़े वृक्षों के अपातन के विषय में।

सन्दर्भ:- इस कार्यालय का पत्र सं0 1103/37-85(ग), दि0 9.9.02

इस कार्यालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा दिनांक 11.8.02 को लखनऊ में वन विभाग व वन निगम के अधिकारियों के मध्य हुई बैठक का कार्यवृत्त आपको प्रेषित किया गया है। कार्यवृत्त के प्रस्तर संख्या (5) का अवलोकन करें जिसके अनुसार वन संरक्षक पश्चिमी वृत्त ने आंधी से टूटे उखड़े हरे वृक्षों का अपातन हरे वृक्षों का 3/4 किये जाने के आदेश प्रसारित करने की अपेक्षा की है। बैठक में यह तय किया गया कि क्षेत्रीय वन संरक्षक पश्चिमी वृत्त आदेशानुसार कार्यवाही कर लें।

2. दिनांक 7.5.81 को राज्य वन मंत्री की अध्यक्षता में रानीखेत में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि आंधी से टूटे गिरे व उखड़े हुये वृक्षों का अपातन खड़े हरे वृक्षों के अपातन का 3/4 माना जायेगा। इस विषय में अपर मुख्य वन संरक्षक (कु0) के पत्रांक 138/35-13(नैनीताल), दि0 17.7.1981 द्वारा प्रेषित बैठक के कार्यवृत्त की मद संख्या 7 का अवलोकन करने की कृपा करें।

3. चूंकि अपर मुख्य वन संरक्षक (कु0) ने अपने पत्रांक 138/35-15, दिनांक 17.7.81 द्वारा अपने मंडल के लिये उपरोक्त विषय में आदेश प्रसारित कर दिये हैं। अतः आपसे निवेदन है कि आप भी अपने मंडल के लिये उपरोक्तानुसार आदेश प्रसारित करने का कष्ट करें। कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराने की कृपा की जाये।

ह0/-
(डी0एन0गोस्वामी)
अपर मुख्य वन संरक्षक कु0, उ0प्र0
नैनीताल

प्रतिलिपि वन संरक्षक पश्चिमी वृत्त, नैनीताल को सन्दर्भित पत्र के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं प्रेषित।

प्रतिलिपि प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 वन निगम को सूचनार्थ।

Copy for Attn. to Sri V.B. Gaur IFS CGM (Prod), Lucknow